

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा-24-36/2025

पटना, दिनांक-

श्री गौरव, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), बेतिया अंचल, बेतिया को बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-07.06.2025 को राजकीय अवकाश एवं दिनांक-08.06.2025 को रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-09.06.2025 से 14.06.2025 तक कुल 06 (छः) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री गौरव के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (198-06=192) (एक सौ बानवे) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा-24-36/2025 2307

पटना, दिनांक-05/06/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेतिया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बेतिया अंचल, बेतिया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री गौरव, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), बेतिया अंचल, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।